न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

(223 आर.टी.एक्ट)

अपील सं0:–70/2015

उनवान

1. शिवनारायण पुत्र बस्सूराम जाति ओड़ राजपूत निवासी ग्राम सैमली दिलावर उप तहसील गोविन्दगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

....................वादी/ अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्धारा जिला कलक्टर अलवर प्रतिनिधि राज्य ।
2. तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ लैण्ड होल्डर ।

.... असल रेस्पो0/प्रतिवादीगण

3. हुकम चन्द पुत्र निहालचन्द – मृतक
   3/1. श्रीमती कांताबाई धर्मपत्नि स्व0 श्री हुकमचन्द
   3/2. दिनेशचन्द पुत्र स्व0 श्री हुकमचन्द
   3/3. सुभाष चन्द पुत्र स्व0 श्री हुकमचन्द
   3/4. प्रहलादसिंह पुत्र स्व0 श्री हुकमचन्द
   3/5 सुमित्रा बाई पुत्री स्व0 श्री हुकमचन्द
   3/6 शारदा पुत्र स्व0 श्री हुकमचन्द
4. सुन्दरलाल पुत्र निहालचन्द
5. अमचन्द पुत्र निहालचन्द
6. पांचीराम पुत्र निहालचन्द
7. रतनलाल पुत्र जीवनदास – मृतक
   7/1. श्रीमती प्रमिला धर्मपत्नि स्व0 रतनलाल
   7/2. सुनिल कुमार पुत्र स्व0 रतनलाल
   7/3. अनिल कुमार पुत्र स्व0 रतनलाल
   7/4. अनिता पुत्री स्व0 रतनलाल
   7/5. सुनिता पुत्री स्व0 रतनलाल
8. सन्तूराम पुत्र ताताराम – मृतक
   8/1. चिरंजीलाल पुत्र स्व0 संतुराम
   8/2. रिमलो पुत्री स्व0 संतुराम
   8/3. फूलीबाई पुत्र स्व0 संतुराम
   8/4. बिमलो पुत्री स्व0 संतुराम

8/5/1. गुड्डी बाई धर्मपत्नि रमेशचन्द
8/5/2. जगदीश पुत्र रमेशचन्द,
8/5/3. जीतसिंह पुत्र रमेशचन्द,
8/5/4. पुष्पा पुत्री रमेशचन्द

9. भगवानदास पुत्र सुआराम,
10. बंशीराम पुत्र सुआराम,
11. मुंशीराम पुत्र सुआराम,
12. दीवानचन्द पुत्र सुआराम,
13. सुरेश चन्द पुत्र सुआराम – मृतक
    13/1. श्रीमती शकुन्तला धर्मपत्नि सुरेशचन्द,
    13/2. सुमन पुत्र सुरेश चन्द नाबालिग जरिये सरपरस्त माता श्रीमती शकुन्तला,
    13/3. पिंकी पुत्री सुरेश चन्द नाबालिग जरिये सरपरस्त माता श्रीमती शकुन्तला,
    13/4. गीता पुत्री सुरेश चन्द नाबालिग जरिये सरपरस्त माता श्रीमती शकुन्तला,
    13/5. विशाल पुत्र सुरेश चन्द नाबालिग जरिये सरपरस्त माता श्रीमती शकुन्तला,
    13/6. विकास पुत्र सुरेश चन्द नाबालिग जरिये सरपरस्त माता श्रीमती शकुन्तला,
14. हंसराम पुत्र ईसरदास – मृतक
    14/1. श्रीमती रामोबाई धर्मपत्नि हंसराम,
    14/2. सिकन्दर पुत्र हंसराम,
    14/3. जोगेन्द्रसिंह पुत्र हंसराम ।
15. मुंशीराम पुत्र ईसरदास,
16. लालचन्द केता डालूराम से – फौत
17. पूरणसिंह पुत्र साधूराम –मृतक
    17/1. श्रीमती निर्मला देवी धर्मपत्नि पूरणसिंह,
    17/2. विनोद कुमार पुत्र पूरणसिंह,
    17/3. ताराबाई पुत्री पूरणसिंह,
    17/4. शारदा पुत्री पूरणसिंह ।
18. जेहानसिंह पुत्र साधूराम ।
19. चिमराम पुत्र साधूराम ।
20. भरतसिंह पुत्र साधूराम ।
21. रमेशचन्द पुत्र साधूराम जाति ओड राजपूत निवासीयान ग्राम सैमली दिलावर उप तहसील गोविन्दगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।

::: निर्णय :::

दिनांक :—31.12.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक आराजी ख0 नं0 80 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा है जिसके हाल ख0 नं0 127 रकबा 6 बिस्वा, 127/361 रकबा 2 बिस्वा, 128 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम सैमली दिलावर तहसील गोविन्दगढ़ में स्थित है । यह आराजी मिन वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है क्योंकि मिन वादी तरतीबी प्रतिवादीगण विस्थापित आवंटी हैं । उन्हें विस्थापित करने के लिए जो आराजी आवंटित की गई थी वो कम थी, उसी कमी पूर्ति के लिए यह विवादित आराजी हम लोगों को आवंटित की गई थी । जमाबन्दी सम्वत् 2012 में एवं गिरदावरी में विवादित आराजी ख0 नं0 80 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा बंजड़ कदीम खाता सं0 5 में श्यामाराम, ताराराम, बस्सूराम, डालूराम, कालाराम, डालचन्द, साधूराम, सुआलाल, छिनकू, जीवनराम, संतूराम तेरह परिवार समभाग उल्लेख है । यही इन्द्राज सम्वत् 2016 की गिरदावरी में रिपीट है । सम्वत् 2012 की जमाबन्दी में खतौनी सं0 272 में बस्सूराम ख0 नं0 80 मिन 8 बिस्वा पर साकिनदेह अलावी पांच साल उल्लेख है जो मिन वादी के पिता है । मिन वादी के नाम गंगाराम है जो मेरे पिता बस्सूराम की उक्त रेकार्ड में वल्दियत उल्लेख है । बस्सूराम के पिता चेतनराम है जो सही स्थिति है । अन्य कोई बस्सूराम ग्राम सैमली दिलावर में नहीं है । उक्त विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में विधि विरूद्ध गलती से सिवायचक दर्ज की गई । जिसकी वैधानिक दृष्टि के लिए असल प्रतिवादीगण से निवेदन किया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई । धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस भी दिया गया लेकिन इसके उपरान्त भी कोई सुनवाई नहीं की गई । जिस पर उक्त आराजी में उनकी कब्जे की खातेदारी या गैर खातेदारी करने एवं राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी का बंजड़ कदीम डूब आदि कलमजन किये जाने तथा वादी शिवनारायण पुत्र बस्सूराम पुत्र चेतनदास का उल्लेख करने व अस्थाई निषेधाज्ञा से असल प्रतिवादीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्वान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया । विद्वान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए दि0 28.07.2015 को वादी का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 28.07.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दिनांक 28.07.2015 के खिलाफ पेश की है जिसमें अपीलांट का दावा गलत रूप से खारिज किया गया है । तहत न्यायालय के आदेश

का अवलोकन कराया तथा तनकीयात का भी अवलोकन कराया । मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2028 अनुसार हाल ख0 नं0 127 रकबा 0.06 के साबिक ख0 नं0 80 मिन से बना है । सम्वत् 2059–62 जमाबन्दी में ख0 नं0 128 रकबा 3.03 बीघा, 127/361 रकबा 0.02 बीघा व 127 रकबा 0.06 बीघा गै0मु0 चाह है । एक्जी. 5 सम्वत् 2013 से 19 की जमाबन्दी खाता सं0 36 ख0 नं0 साबिक 80 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा निहालचन्द पुत्र ताराराम, इसरदास पुत्र चन्दनदास, सुवाराम पुत्रतोताराम, जीवणराम पुत्र रामदत्त, मन्टूराम पुत्र चन्दराम समान भाग राजपूत विस्थापित गैर खातेदार 1/5–1/5 दर्ज हैं । विवाद हाल ख0 नं0 127 व 128 का है । हाल ख0 नं0 128 का रकबा 3.03 बीघा है जिसका साबिक ख0 नं0 80 मिन रकबा 3.03 बीघा से बना है । एक्जी. 6 जमाबन्दी सम्वत् 2013–19 खैवट खतौनी पेज ॥ खाता सं0 272 बस्सूराम वल्द गंगाराम राजपूत सा0देह एलोटी साल 5 साबिक ख0 नं0 80 मिन रकबा 0.08 बिस्वा बंजड़ कदीम दर्ज है । सम्वत् 2012–19 की खसरा गिरदावरी जिसमें आराजी ख0 नं0 80 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा श्यामाराम, ताराराम, बस्सूराम, डालूराम, कालाराम, निहालचन्द, साधूराम, सुवाराम, छिनकूराम, जीवनराम, संतुराम, अलाओ, सुवाराम – 13 परिवार सम्भाग का उल्लेख किया हुआ है । एक्जी.7 खातासं0 264 साबिक ख0 नं0 80 मिन रकबा 0.08 बिस्वा में ईशरदास, चेलाराम राजपूत अलोटी 5 सा दर्ज अभिलेख है । खाता सं0 249 ख0 नं0 79/10 बिस्वा अंकित है । अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 को नोन क्लेमेन्ट थे तथा 1956 में विस्थापित होने के कारण विवादित आराजी आवंटन हुई थी । उसमें खातेदारी का प्रावधान था । विवादित आराजी कस्टोडियन आराजी नहीं थी । सरकार की आराजी थी जिसे नियमानुसार अपीलांट को आवंटन हुई थी ।

अपीलांट ने दौराने बहस फार्म नं0 3 के साथ नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2019 से 2019 पेश की है जिसमें विवादित आराजी साबिक ख0 नं0 80 रकबा 5.09 बीघा गैर खातेदार की प्रविष्ठियों के रूप में श्यामा, तारा, बस्सू, डालू आदि 13 परिवार समभाग दर्ज रेकार्ड हैं ।

इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है और अपील अपीलांट स्वीकार करने की इस्तदुआ की ।

विद्धान राजकीय अभिभाषक असल रेस्पो0 ने जवाब बहस में कहा कि अपीलांट का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं था । गिरदावरी का अंकन नहीं है । यदि अपीलांट का विवादित आराजी पर कब्जा था तो गैर मुमकिन सरकार क्यों दर्ज है ? यदि अपीलांट का कब्जा होता तो गैर खातेदारी दर्ज होती । साथ ही यदि अपीलांट विस्थापित थे तो सन् 1963 के नियम होते । नोन क्लेमेन्ट थे तो अपीलांट पट्टे जारी करवाते । इसलिए तहत न्यायालय ने विधिसम्मत रेकार्ड अनुसार तनकीयात कायम करते हुए उचित निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलांट काबिल खारिजी के है ।

हमने अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्धारा पारित आदेश दिनांक 28.07.2015 का अवलोकन किया ।

तहत न्यायालय द्धारा वादी/अपीलांट का वाद इस बिनाय पर खारिज किया था कि वादी ने कब्जे के संबंध में व काश्त के संबंध में कोई रेकार्ड पेश नहीं किया है । खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012 से 2019 की नकलें यहां अपील में पेश की है जिसमें आराजी ख0

नं0 80 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा श्यामाराम, ताराराम, बस्सूराम, डालूराम, कालाराम, निहालचन्द, साधूराम, सुवाराम, छिनकूराम, जीवनराम, संतुराम, अलादी, सुवाराम – 13 परिवार सम्भाग का उल्लेख किया हुआ है जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त है लेकिन तहत न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण रेकार्ड का अवलोकन नहीं कर रेकार्ड के अवलोकन बिना निर्णय पारित किया है ।

चूंकि अपीलांट की अपील में मूल कथन ही यह है कि विवादित आराजी उन्हें आवंटित हुई है तथा वे विवादित आराजी पर समभाग में गैर खातेदार थे तथा खसरा गिरदावरी के आधार पर सम्वत् 2012 से 2019 तक उनका कब्जा रहा है । तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में यह उल्लेख किया है कि वाद ने ऐसा कोई रेकार्ड वगैरा पेश नहीं किया जिससे इनका कब्जा साबित हो । यहां अपील में अपीलांट ने रेकार्ड पेश किया है । अतः उसके विवेचन के आधार पर पुनः निर्णय पारित किया जाना उचित समझते हैं । इसलिए प्रकरण तहत न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज होकर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पायी जाती है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दि0 28.07.2015 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण विद्वान तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह अपीलांट द्वारा सम्वत् 2012 से 2019 तक की पेश खसरा गिरदावरियों की नकलों का अवलोकन करते हुए तथा कब्जे/काश्त का अवलोकन करते हुए तथा अपीलांट/वादी को और साबिक रेकार्ड व साक्ष्य पेश करने के बाद पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31.12.18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर